न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 42/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	1. शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने पुराना बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(v) एवं धारा 58

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 23.09.2025

नीचे प्रशासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने, पुराना बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् धनिया पाउडर का विकय कर रहा था। शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने, पुराना बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर 5–6 किलोग्राम धनिया पाउडर एल्युमिनियम डिब्बे मे रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार धनिया पाउडर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

23.9.25

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, ग नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्र पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिव को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिन 22.05.2024 को समय 2.30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने, पुराना स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखा एवं विकेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने, पुराना ब स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा था एवं आम जनता के उपयोग हेतु धनिया पाउडर विक्र कर रहा था। विकेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खा लाईसेंस मांगा गया, जो मौके पर मौजूद नही था।

मौके पर गवाह व विकेता की उपस्थिति में 280/–रू. नगद देकर 2 किल धनिया पाउडर वास्ते जांच खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विकेता के सामने चार लेब तैयार किये गये। जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स – 2362 नाम, पता, वस्तु क नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए उक्त लेब तैयार कर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिर को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./656/ एफएसएसए/2024/680 दिनांक 05.06.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिय गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण Containing Extraneous Matter Under Section 3 (1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 Due to presence of Tureric powder. होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित

23.9.25

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

किया है कि विपक्षी द्वारा लूज खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.09.2025 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना धनिया पाउडर loose condition होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने धनिया पाउडर Containing Extraneous Matter Under Section 3 (1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 Due to presence of Tureric powder. होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./656/एफएसएसए/2024/680 दिनांक 05.06.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड Containing Extraneous Matter Under Section 3 (1) (i) of Food Safety and Standard Act 2006 Due to presence of Tureric powder. होना पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना loose condition पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि एक मशीन में पहले हल्दी पाउडर पिसा गया एवं जल्दबाजी में हल्दी पाउडर वाली मशीन साफ नही करके उसी मशीन में धनिया को पिसा गया इसलिए यह रिपोर्ट आयी हैं। विपक्षी को कानूनी बातों की जानकारी नही हैं। भविष्य में ध्यान रखेंगें। प्रथम गलती मानते हुये माफी प्रदान करें।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी loose condition धनिया पाउडर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानव अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपरा कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी प 10,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती हैं एवं विपक्षी को निर्देशित किया जाता हैं वि भविष्य में वह खुले मसाले का विक्रय नही करें। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 9 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

23.9.25

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 श्री शंकरलाल पुत्र रामनिवास तेली मैसर्स बोहरा किराणा वेलकम होटल के सामने, पुराना बस स्टैण्ड, शाहपुरा जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)